रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1175/2025/1918/22-2-2023-17(399)/2018

लखनऊ: दिनांक: **22** सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी केशवराम (बन्दी सं0-64/2018) पुत्र श्री कालीप्रसाद ग्राम-पैडी, थाना-गिलौला, जनपद-श्रावस्ती, हालपता ग्राम-भूपगंज बाजार, थाना-पयागपुर, जनपद-बहराइच का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-92/1982 में भा०द०वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, स्पेशल जज/अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के दण्डादेश दिनाक 18.12.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 20.04.2018 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.08.2018 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष, 07 माह 07 दिन तथा 05 वर्ष, 11 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1175/2025/1918(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।

5- वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बहराइच।

6- अधीक्षक, जिला कारागार बहराइच।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1 -यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in